राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

सी विंग, प्रथम तल, विंध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक / भण्डार / 2019 / रा.यो.आ. भोपाल, दिनांक

निविदा–विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश, विंध्याचल भवन, भोपाल द्वारा वाहन क्रं. एम.पी.02 / एव्ही / 0573 वेगन आर मॉडल 2004, वाहन क्रं. एम.पी.02 / एव्ही / 0856 मारूति वेन मॉडल 2005 तथा वाहन क्रं. एम.पी.02 / 5779 मारूति 800 मॉडल 2002 'जहॉ है जैसे है के सिद्धांत' के आधार पर विक्रय हेतु पृथक–पृथक सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म / एजेंसियॉ दिनांक 04.07.2019 अपरान्ह 3:00 बजे तक रू. 5000 / –(रू. पॉच हजार मात्र) प्रतिवाहन की दर से राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग म.प्र. के पक्ष में देय हो निविदा के साथ संलग्न कर, अपने निविदा प्रस्ताव कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्धारित निविदा प्रपत्र में जानकारी भरकर स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500 / –शब्दों में (पॉच सौ मात्र) प्रति वाहन होगा। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदायें उसी दिन दिनांक 04.07.2019 अपरान्ह 4:00 बजे निविदाकारों अथवा उनके द्वारा मान्य प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। उच्चतम दर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वाहन विक्रय की कार्यवाही की जावेगी। उच्चतम दर स्वीकृत होने पर आदेशित व्यक्ति / फर्म या एजेंसी को वाहन विक्रय की मूल्य राशि आदेशित दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय में नगद जमा करना होगी अन्यथा उस फर्म, एजेंसी या व्यक्ति द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहनो का कार्यालयीन समय में दिनांक 02..07.2019 तक निरीक्षण किया जा सकता है एवं वाहन संबंधी अन्य शर्तों की जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा कार्यालय राज्य योजना आयोग की बेबसाईट www.mpplanningcommission.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदायें स्वीकृत करने संबंधी अंतिम निर्णय सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का होगा।

नोट :–तीनो वाहनों के लिए पृथक–पृथक प्रपत्र निर्धारित किए गए है जो निम्नानुसार है :–

1. वाहन क्रं. एम.पी.02 / एव्ही / 0573 वेगन आर– प्रपत्र–1
2. वाहन क्रं. एम.पी.02 / एव्ही / 0856 मारूति वेन– प्रपत्र–2
3. वाहन क्रं. एम.पी.02 / 5779 मारूति 800 – प्रपत्र–3

सहायक सलाहकार
राज्य योजना आयोग म.प्र.

सील्ड टेण्डर के नियम एवं शर्तें

1 वाहन जहॉ है जैसी स्थिति में है, के आधार पर विक्रय किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व वाहन का निरीक्षण भली भॉति कर लें।

2 निविदा संबंधी कार्यवाही कार्य दिवसो में कार्यालयीन समय में होगी।

3 निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत करने अथवा अमान्य करने का अधिकार सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग म.प्र. को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

4 वाहन की डिलीवरी लेने के बाद वाहन के हस्तांतरण हेतु समस्त व्यय केता को स्वयं करना होगा। विभाग सिर्फ विक्रय–पत्र जारी करेगा।

5 किसी भी गलत जानकारी के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अपूर्ण भरे गये आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

6 कार्यालय राज्य योजना आयोग म.प्र. से वाहन की डिलीवरी लेने के पश्चात् वाहन की समस्त जिम्मेदारी केता की होगी।

सहायक सलाहकार
राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश